कार्यालय वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07856-252228 (फैक्स) : 07856-252305 E-mail-dfodnt@rediffmail.com

क्रं./क.त.अ./ <u>525</u>2 प्रति,

दंतेवाड़ा, दिनांक 19/07/2022

महाप्रबंधक,

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, BRANCH OFFICE DANTEWADA

- विषय:— Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Condervation
 Act, 1980 Proposed for "LIC Building Dantewada" area 0.262 ha.
 Compartment No. P1373.
- संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/1436 दिनांक 29.06.2022

मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/व.त.अ./४००२ दिनांक 14.07.2022

--::000::--

विषयांतर्गत् संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत् विषयांकित प्रकरण रकबा 0.262 हे. वनभूमि में LIC Building निर्माण कार्य के व्यपवर्तन प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- 1. फार्म ए पार्ट—1 के बिन्दु कमांक C (Maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड़ के.एम.एल फाईल में खसरा कमांक 291 उल्लेख कर अपलोड़ किया गया है। जो वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नहीं है। सुधार आवश्यक है। C.(ii) b(1): Upload kml ds attribute में विवरण; जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in has Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड़ करें।
- वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल फाईल, टोपोशीट, Geo-referenced map एवं फार्म ए
 पार्ट--1 में समस्त पी.डी.एफ फाईल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड करें।
- 3. Form A Part I esa Coloum No. K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted " (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Non तत्संबंध में यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें।

- क्षितिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (i) के अनुसार 10 वर्षाय रखरखाव योजना तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा कंडका क्रमांक 16 एवं 17 में क्षतिपूर्ति कृक्षारोपण योजना आवश्यक नहीं है लेख किया गया है। अतः 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति क्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
- 5 वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वन मंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) खी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं संलग्न सी.डी. में सही डाटा सुघार करे। (kml, .shp, Toposheet, Geo-Referance Map) आदि।
- ে चूंकि यह एक Non Specific Project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त किमयों की तत्काल पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 19/07/2022

पृ.क्रं./क.त.अ./*5253*

प्रतिलिपि:--

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, जीवन प्रकाश मार्ग, पी.बी नम्बर—10 जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर